II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
20.01.2026	डिक्रीधारी द्वारा प्रदीप शंकर पाराशर अधिवक्ता के कनिष्ठ अधिवक्ता सुश्री निधि दुबे उपस्थित। प्रकरण स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी हेतु नियत हैं। प्रकरण के परिशीलन से दर्शित होता है कि प्रकरण में डिक्रीधारी द्वारा दिनांक 23.09.2024 से दिनांक 20.01.2026 तक स्टाम्प ड्यूटी अदा नहीं किया गया है तथा अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक को उपस्थित होकर स्टाम्प ड्यूटी अदा किये जाने हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया गया है। डिक्रीधारी के अधिवक्ता से पूछा गया कि उनके द्वारा प्रकरण में स्टाम्प ड्यूटी क्यों अदा नहीं किया गया है तो डिक्रीधारी अधिवक्ता द्वारा स्टाम्प ड्यूटी अदा करने के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तथा डिक्रीधारी को स्टाम्प ड्यूटी अदायगी हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये हैं, परन्तु आज दिनांक तक स्टाम्प ड्यूटी अदा नहीं किया गया है, जिससे दर्शित होता है कि डिक्रीधारी की ओर से जानबूझकर स्टाम्प ड्यूटी अदा नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित हो रहा है। अतः डिक्रीधारी को और समय दिया जाना उचित दर्शित नहीं होता है। प्रकरण की कार्यवाही में डिक्रीधारी की कोई अभिरूचि नहीं होना दर्शित होता हैं। ऐसी स्थिति में डिक्रीधारी की ओर से स्टाम्प ड्यूटी अदा नहीं किये जाने से स्टाम्प ड्यूटी के अभाव में प्रकरण **खारिज** किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे। (लोकेश तारन) अठारहवे व्य0 न्या0 वरिष्ठ खंड, भोपाल, म.प्र.	Nidhi 28/1/2026